जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/rpba/71 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 1 मई 2021

स्कूल के प्ले ग्राउंड की जमीन पर बन गयी बिल्डिंग!!!

भाग-1

जे.डी.ए. के ज़ोन 7 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 34,35,36,37 को बिना पुनर्गठन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए बन गयी अवैध बिल्डिंग|जे.डी.ए. द्वारा अनुमोदित स्कीम के नक़्शे के अनुसार भूखंड संख्या 34,35,36 पर खेल मैदान बताया गया है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

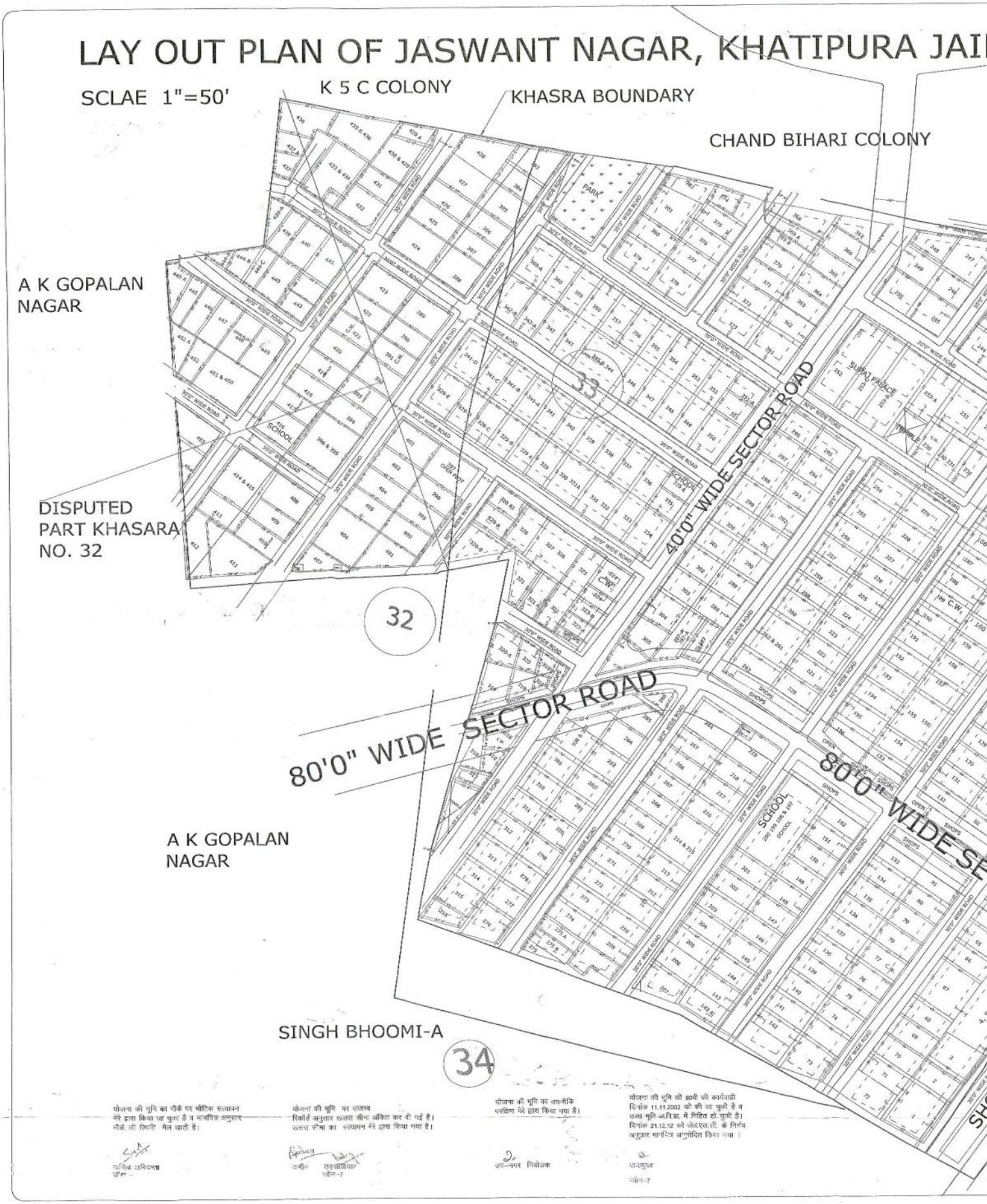

LAY OUT PLAN OF JASWANT NAGAR, KHATIPURA JAI
SCLAE 1"=50'
K 5 C COLONY
KHASRA BOUNDARY
CHAND BIHARI COLONY
A K GOPALAN NAGAR
DISPUTED PART KHASARA NO. 32
33
32
40'0" WIDE SECTOR ROAD
80'0" WIDE SECTOR ROAD
80'0" WIDE SE
A K GOPALAN NAGAR
SINGH BHOOMI-A
34

मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

		आवासीय	व्यावसायिक
१.	पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -		416
२.	चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -		27
३.	खाली भूखण्ड -		13
	कुल भूखण्ड -		

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लेषण

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
	आवासीय	993281.88 Sq ft	72.7%
	व्यावसायिक	47960.57 Sq ft	3.5%
	सुविधा क्षेत्र	35768.23 Sq ft	2.6%
	सड़क	288456.19 Sq ft	21.1%
	कुल	1365466.87 Sq ft	100%

AREA ANALYSIS AS PROPOSED

S.No.	LAND USE	AREA IN . SQ.YDS.	PERCENTAGE
1.	RESIDENTIAL	82377.94	63.46%
2.	COMMERCIAL	2934.19	02.27%
3.	FACILITY AREA		
a.	AREA UNDER 100' SECTOR ROAD	4190.06	
b.	AREA UNDER 80'	8205.80	
c.	AREA UNDER 40' SECTOR ROAD	3114.30	
d.	AREA UNDER INTERNAL 30'-0" WIDE ROADS	27018.59	
e.	PARK	710.79	
e.	TEMPLE	1252.70	
	TOTAL FACILITY	44492.24	34.27%
4	TOTAL SCHEME AREA UNDER KHASARA	129804.37 1085866.87SQ.M.	100%
5	AREA UNDER DISPUTED KHASRA NO.32(part)	23293.99	

योजना की मौके जाँच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना २०२५ की सड़कों, भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जाँच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

टेडीकेटेड सलाहकार का नाम एवं हस्ताक्षर

योजना की भूमि की सं. भू. रा अधिनियम की धारा ९० बी की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक दिनांक के तहत जारी किया जा चुका है।

नाम पद — नाम पद

उपायुक्त जोन - — राजस्व पटवारी/ अधिकारी

प्रशासन शहरों के संग अभियान २०१२ के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देश के तहत बैठक संख्या .... दिनांक 21.12.12 कि अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY =	SHRI JANTA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY
NAME OF SCHEME =	JASWANT NAGAR
ZONE - 7	SECTOR NO. =13 & 14
SCALE - 1" = 50'	DWG. NO.

D.T.P. (ZONE-7)	S.T.P. (BPC-LP)	ACTP(BPC-LP)

JAIPUR DEVELOPMET AUTHORITY

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	आवासीय भूखंड संख्या 34,35,36,37 जसवंत नगर,खातीपुरा जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	स्कूल का निर्माण
3.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना पुनर्गठन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए एवं बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों के बेसमेंट सहित बहुमंजिला व्यवसायिक कोम्प्लेक्स का निर्माण
4.	सम्बंधित ज़ोन	जे.डी.ए. ज़ोन-7
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी ज़ोन 7 श्री सुरेश यादव
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	01/05/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे है। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जो को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा विधिक रूप से इन भूखंडों का पुनर्गठन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा बेसमेंट की अनुमति ली गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा इन भूखंडों की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
6. क्या भवन मालिक द्वारा इन भूखंडोंका यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
7. यह मामला जे.डी.ए./नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
8. क्या जे.डी.ए./नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
9. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?